प्रकरण संख्या 15/2022 मनोज बनाम तुलसीराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। दौराने वाद अधिवक्ता प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने से अपीलान्ट द्वारा आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर उक्त प्रार्थना पत्र ऐम्बीट्यूटी होने एवं मयाद बाहर होने से वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 04.07.2022 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.09.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री निलेश मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2/2 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 कुरिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 गंगाराम की मृत्यु होने पर उसके वारिसान का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत कर दिया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जवाहरलाल की मृत्यु का ज्ञान नहीं था इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ एवं इस हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया कि आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, जबकि आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा देरी से प्रस्तुत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

(राज.)

किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र ऐम्बीट्यूटी होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2009 डी.एन.जे. (SC) वकल 223 एवं 2009 डी.एन.जे. (SC) वकल 846 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं बताया, जबकि देरी से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रतिवादी संख्या 3 जवाहरलाल की मृत्यु दिनांक 04.09.2021 को हुई, जिसकी सूचना प्रतिवादी द्वारा वादी को दिनांक 17.01.2021 को दी गयी, जबकि वादी द्वारा आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2022 को प्रस्तुत किया गया तथा देरी का कारण प्रतिवादी द्वारा दी गयी सूचना की नकल देरी से मिलना बताया। आदेश 22 नियम 1 – "यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो पक्षकार की मृत्यु से उसका उपशमन नहीं हो जाता।" आदेश 22 नियम 4 – कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया – (1) "जहां दो या अधिक प्रतिवादियों मे से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी के या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादियों के विरूद्ध बचा रहता है या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र उत्तरजीवी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहां उस निमित किये गये आवेदन पर न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनवाएगा और वाद में अग्रसर होगा।" आदेश 22 नियम 5 (क) – "वादी, प्रतिवादी की मृत्यु से अनभिज्ञ था और उस कारण से वह इस नियम के अधीन प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि का प्रतिस्थापन करने के लिए आवेदन, परिसीमा अधिनियम, 1[illegible] का 36) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या 15/2022 मनोज बनाम तुलसीराम व अन्य

परिणाम स्वरूप वाद उपशमन हो गया" और (ख) – "वादी, परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) में इसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्, उपशमन अपास्त करने के लिए आवेदन करता है और उस अधिनियम की धारा 5 के अधीन उस आवेदन को इस आधार पर ग्रहण किये जाने के लिए भी आवेदन करता है कि ऐसा अनभिज्ञता के कारण उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके आवेदन न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, वहां न्यायालय उक्त धारा 5 के अधीन आवेदन पर विचार करते समय ऐसी अनभिज्ञता के तथ्य पर, यदि साबित हो जाता है तो, सम्यक ध्यान देगा।" अपीलान्ट द्वारा भी आदेश 22 नियत 3 के प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल देरी से मिलना प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने का कारण बताया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में बिना गुणावगुण पर विचार किये प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत होने के आधार पर वाद को उसी स्टेज पर खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 19/2013 निर्णय एवं डिक्री 04.07.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये सी.पी.सी. के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में पक्षकारों को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 27.10.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति रा[illegible])
[illegible] अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.09.24 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested